# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री दाताराम आर.ए.एस.

अपील संख्या : 06/2017 (225 आरटी एक्ट) रजा मोहम्मद वगै. बनाम साले मोहम्मद वगै.

1. रजा मोहम्मद पुत्र कायमदीन
2. बरकत खां पुत्र कायमदीन
3. नजीर खां पुत्र कायमदीन
4. नेकू खां पुत्र कायमदीन
5. सरीफ खां पुत्र कायमदीन
6. हबीब खां पुत्र कायमदीन
7. यारू खां पुत्र कायमदीन
8. रईसखां पुत्र गफूर खां
9. हाफिज अला पुत्र गफूर खां.
10. सखीना पुत्री गफूर खां
11. सहीदो पत्नी गफूर खां
12. एमणो पुत्री कायमदीन
13. सरादीन पुत्र रायधन खां
14. नरसदीन पुत्र रायधन खां
15. इनायतो खातु पत्नी अजीज खां.
16. इकबाल खां पुत्र अजीज खां.
17. जाकिर हुसैन पुत्र अजीज खां
18. मुख्त्यार खां पुत्र अजीज खां
19. इब्राहिम खां पुत्र नूर मोहम्मद
20. मोहम्मद सरीफ पुत्र नूर मोहम्मद
21. अब्दुल मलिक पुत्र नूर मोहम्मद
22. अलारख पुत्र निहालदीन
23. नेमत पत्नी नूर मोहम्मद
24 सुरतान खां पुत्र इलामदीन
25. बसीर खां पुत्र इलामदीन
26. साले मोहम्मद पुत्र इलामदीन
27. मुजोफर पुत्र इलामदीन
28 जैनफ पत्नी इलामदीन
29. ताजे खां पुत्र अलाबचाया
30. बायदे खां पुत्र अलाबचाया
31. गनी खां पुत्र अलाबचाया
32. इमामदीन पुत्र अलाबचाया सभी जाति सिपाही मुसलमान निवासी डेरियों की ढाणी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट



16/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

**बनाम**

1. साले मोहम्मद पुत्र नूरदीन
2. इलियास पुत्र मेहमूद खां सभी जाति सिपाही मुसलमान निवासी डेरियों की ढाणी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
3. तहसीलदार फलोदी।

..... रेस्पोडेण्ट

**अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**
**विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी फलोदी**
**दिनांक 16.07.2016 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 234/2015**

उपस्थित :

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सलीम खान मेहर।
2. रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलालं।
3. रेस्पो. सं. 3 की आरे से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

## निर्णय

दिनांक : 16.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी फलोदी के आदेश दिनांक 16.07.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 मियाद अधियिम भी पेश किया है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट–प्रार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 251 ए के तहत रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार के तहत दिनांक 15.07.2016 को अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण सं. सालेमोहम्मद बनाम रजा मोहम्मद वगै. अंतर्गत धारा 251 ए काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण में ग्राम डेरियों की ढाणी तहसील फलोदी के खसरा नं. 415 के लिए प्रार्थीगण ने रास्ते की मांग की जिसके लिए खसरा नं. 413, 412 की भूमि में से रास्ता दिलाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अपीलांट–अप्रार्थीगण को जरिए सम्मन तलब किया जाना बताया गया परंतु अप्रार्थीगण सं. 1 से 32 पर रेस्पोडेंट–प्राथीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बाले बाले तामील सवार से मिलकर फर्जी चस्पानगी की रिपोर्ट करवाली और प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करवाना अपीलांट ने कथन किया है। अपीलांट ने यह भी कथन किया है कि पत्रावली में तहसीलदार फलोदी की मौका रिपोर्ट नहीं है बल्कि पटवारी की मौका रिपोर्ट है जिसमें रेस्पोडेंट्स–प्रार्थीगण के वर्तमान में कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने और खसरा नं. 413 में मौके पर डामर सड़क होने व उसका राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने तथा प्रार्थीगण के लिए रास्ता की रिपोर्ट की गई है। पटवारी की रिपोर्ट जो तहसीलदार के मार्फत प्राप्त हुई



16/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2016 के द्वारा अपीलांट को सुने बिना एकपक्षीय तरीके से राजस्व लोक अदालत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिंदुओं को दोहराते हुए कथन किया कि प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थीगण सं. 1 से 32 पर रेस्पोडेंट–प्राथीगण संख्या 1 व 2 द्वारा बाले बाले तामील सवार से मिलकर फर्जी चस्पानगी की रिपोर्ट करवाली और प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत तरीके से एकपक्षीय कार्यवाही करवाते हुए तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय करवा लिया है। पत्रावली में तहसीलदार फलोदी की मौका रिपोर्ट नहीं है बल्कि पटवारी की मौका रिपोर्ट है। प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है फिर भी रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। अतः अपील को अंदर मियाद शुमार करते हुए स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने की प्रार्थना की गई।

जबाब में रेस्पो. के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मौके पर रेस्पोडेंट्स–प्रार्थीगण के खसरा नं. 415 में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं हैं। रास्ता केवल ए से बी तक दिया गया है। जो उचित है। रेस्पोडेंट्स रास्ते के लिए भूमि के बदले भूमि भी देने के लिए तैयार हैं। प्रकरण में अपीलांट्स–अप्रार्थीगण को लोक अदालत के भी नोटिस जारी किए गए थे। अतः अपील निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अपीलांट के अधिवक्ता ने पुनः बहस में निवेदन किया कि अपीलांट–अप्रार्थीगण 32 खातेदार हैं उनके विरुद्व एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों के अनुसार प्रकरण में निर्णय पारित नहीं किया है।

5 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलांट के अधिवक्ता ने प्रकरण में मुख्य तर्क यह लिया है कि अपीलांट–अप्रार्थीगण को विधिवत तामील नहीं हुई है। दूसरा तर्क यह लिया है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार ने नहीं बनाई है बल्कि पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर रिपोर्ट भिजवाई है।

प्रकरण में अपीलांट पर विधिवत तामील हुई है या नहीं इसके लिए अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 30.11.15 को अपीलांट–अप्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार फलोदी के माध्यम से तामील हेतु नोटिस प्रेषित किए। सभी 32 नोटिसों पर यह रिपोर्ट की हुई है कि आसामी घर पर हाजर नहीं मिला मौतबीरान के अरू बरू एक फर्द मकान पर चस्पा की गई। इसके नीचे एक अदरवा नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर है तथा एक और हस्ताक्षर हैं जो तामील कुनिंदा के प्रतीत होते हैं। इन सभी नोटिसों को तहसील फलोदी से अधीनस्थ न्यायालय को वापस इस नोट के साथ प्राप्त हुए है कि सम्मन/नोटिस बाद चस्पानगी सेवामें पेश हैं। विशेष विवरण चस्पा की गई है। अंकित है।



16/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

इन नोटिसों पर एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं जिस पर कोई नाम पता अंकित नहीं है साथ ही ये नोटिस किस दिनांक को चस्पा किए गए यह भी अंकित नहीं हैं। तामील कुनिंदा द्वारा कब चस्पानगी करवाई उसका स्वयं की कोई रिपोर्ट नहीं है। इसके अलावा चस्पानगी के बाद नोटिस तामील शुदा वापस भेजे हैं या अदम तामील भेजे हैं यह स्पष्ट नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस पर कोई विचार नहीं किया है अतः नोटिस विधिवत तामील नहीं है। लोक अदालत संबंधी नोटिस भी अपीलांट–अप्रार्थीगण को दिया जाना नहीं पाया जाता है। अतः अपील स्वीकार योग्य है। इसी आधार पर अपीलांट का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

प्रकरण में दूसरा तर्क यह है कि मौका रिपोर्ट तहसीलदार ने तैयार नहीं की है बल्कि पटवारी हल्का ने की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार तहसीलदार फलोदी ने अपने पत्रांक राजस्व/2016/797 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी फलोदी को लिखा है कि प्रकरण के संबंध में पटवारी हल्का से खसरा नंबर 413, 412, रकबा 34.04, 19.13 बीघा का मौका जांच करवाई गई जो मूल ही श्रीमान की सेवामें प्रेषित है। इससे यह प्रमाणित होता है कि इस प्रकरण में पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर ही रिपोर्ट अपनी तरफ से प्रेषित कर दी है। जबकि नियमानुसार धारा 251 ए के प्रकरण में गिरदावर की रैंक से कम रैंक का अधिकारी मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं है।

6 उपरोक्त विवेचन के आधार प्रकरण रिमाण्ड किए जाने योग्य पाया जाता है।

7 अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.07.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट–अप्रार्थीगण का विधिवत जबाब लिया जाकर एवं धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विहित प्रावधानों के अनुरूप मौका रिपोर्ट लेकर उभयपक्षकारान को पूर्ण सुनवाई का अवसर देते हुए पुनः नियमानुसार आदेश पारित किया जावे।

8 निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/11/17

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर